

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सीमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति की घोषणा के द्वारा 66 प्रतिशत लेवी सीमेन्ट कण्ट्रोल मूल्य पर व 34 प्रतिशत खुले बाजार में मांग व उपलब्धि के आधार पर निश्चित मूल्य पर मिलेगी। सरकार ने कण्ट्रोल मूल्य 37 रुपये प्रति बोरी तय किया है, जब कि दूसरी सीमेन्ट खुले बाजार में 65 रुपये व 67 रुपये प्रति बोरी मिल रही है। कण्ट्रोल मूल्य पर दी जाने वाली सीमेन्ट के लिए उद्घोषित नीति द्वारा मुख्यतया सरकार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को ही यह कण्ट्रोल की सीमेन्ट प्राप्त हो सकेगी जब कि अन्य नागरिकों को छोटे व बड़े निर्माण कार्यों के लिए खुले बाजार से दुगुने से भी अधिक बढ़े हुए मूल्यों पर सीमेन्ट खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा :

जब समस्त उत्पादित सीमेन्ट पर सम्पूर्ण कण्ट्रोल था, उसका 30 रुपये प्रति बोरी मूल्य था। उत्पादक उद्योगों को सुचारु ढंग से लाभोन्मुख बनाने हेतु मूल्य वृद्धि की मांग कर रहे थे और वे 30 रुपये के स्थान पर 35 रुपये प्रति बोरी मूल्य किए जाने हेतु दबाव दे रहे थे।

परन्तु इस दोहरी मूल्य नीति की घोषणा के कारण उसे 35 रुपये प्रति बोरी के मुकाबले 47 रुपये प्रति बोरी का अनुचित लाभ होने लग गया है। प्रति तीन बोरी सीमेन्ट में से दो बोरी कण्ट्रोल मूल्य 37 रुपये प्रति बोरी से व एक बोरी खुले बाजार में 67 रुपये प्रति बोरी से बिक रही है और इस प्रकार औसतन एक बोरी पर 47 रुपया प्राप्त हो रहा है, जो प्रत्येक दृष्टिकोण से उपभोक्ता का शोषण व उद्योगपति को अनुचित लाभ पहुंचाना है।

अतः मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दे कर स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

(vi) PROBLEMS OF FARMERS DUE TO NON-LIFTING OF SUGARCANE BY SIRWA AND ANAND NAGAR SUGAR MILLS IN GORAKHPUR DISTRICT

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो हालत इतनी खरीब है कि अगर फौरी तौर पर तबज्जह नहीं दी गई तो सीजन के आखिर में शायद लाखों टन गन्ना खेतों में खड़ा रह जाए और खेतों में ही फूंक देना पड़े।

गोरखपुर, जिले की सिसवा चीनी मिल अपनी क्षमता का चौथाई गन्ना भी नहीं पेर पा रही है, जिसकी वजह से पन्द्रह बीस दिन से गन्ना मिल गेट पर पड़ा सूख रहा है। इस क्षेत्र के गन्ना किसान बेचैन हैं, क्योंकि आगे भी मिल के ठीक से चलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि या तो उस मिल को अपने नियंत्रण में ले या मिल की तैयार शुदा चीनी को रिलीज करके वर्तमान मिल मालिक को मजबूर करे कि वह मिल को ठीक तरीके से चलाए, मिल गेट पर सूखे गन्ने का उचित मुआवजा दिलाये। दस लाख टन बाकी बचे हुए गन्ने को कपतानगंज और रामकोला आदि मिलों में भिजवाने के लिए सिसवा मिल क्षेत्र में दस स्थानों पर इन मिलों का कांटा लगाये। यह सब काम एक सप्ताह के अन्दर